राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 622/2011

प्रेम चन्द नवीन **–अपीलार्थी**

बनाम

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
2. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा–द्वितीय, भरतपुर।
3. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, हिण्डौन सिटी।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 22.03.2011
आदेश की दिनांक : 11.08.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री राजेश राज कुमावत, अभिभाषक
प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री गौरव सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि दिनांक 21.12.1995 से रूपये 2240 वेतन निर्धारण किया जावे और नियम 26ए के अंतर्गत व्याख्याता के पद पर पदोन्नति का लाभ देते हुए अपीलार्थी को दो वेतन वृद्धि एवं शेष राशि का भुगतान किए जाने का आदेश फरमाया जावे तथा समस्त पारिणामिक लाभ भी प्रदान किए जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का यह अभिकथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद पर दिनांक 01.09.1975 को हुई थी और दिनांक 21.09.1981 को डीपीसी के तहत अध्यापक ग्रेड द्वितीय के पद पर पदोन्नति दी गई और 18 वर्ष की सेवा होने पर उसे दिनांक 01.09.1993 को चयनित वेतनमान का लाभ दिया गया और आदेश दिनांक 12.12.1995 के द्वारा डीपीसी की अनुशंषा के तहत व्याख्याता हिन्दी के पद पर पदोन्नत किया गया। अपीलार्थी मूल वेतन रूपये 2120 वेतनमान 2000–3200 के तहत प्राप्त कर रहा है। उनका कथन है कि प्रधानाचार्य के द्वारा दो वेतन वृद्धि एक उच्च और एक निम्न की सेवा पुस्तिका में अंकन है और दिनांक 30.06.1996 तक नियमित रूप से उसने आहरण

भी किया है। तत्पश्चात् अपीलार्थी का स्थानान्तरण कर दिया गया और प्रत्यर्थी संख्या 3 के द्वारा पत्र दिनांक 01.02.1997 के द्वारा अधिक भुगतान के बारे में जानकारी दी गई, जिसके पश्चात् अपीलार्थी ने रूपये 2158 चालान दिनांक 12.03.1997 को जमा किए और अपीलार्थी का वेतन दिनांक 21.12.1995 को रूपये 2180 निर्धारित किया गया और प्रत्यर्थी संख्या 3 ने पुनः वेतन रूपये 2120 दिनांक 21.12.1995 से वेतनमान रूपये 2000–3200 पुर्न निर्धारित किया। अपीलार्थी को दो वेतन वृद्धियां दी गई थी उन्हें बिना किसी कारण के हटा दी गई। जबकि अपीलार्थी को इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई और सेवा पुस्तिका में अंकित कर दी गई। अपीलार्थी ने उक्त संबंध में प्रत्यर्थी विभाग को कई अभ्यावेदन दिए परंतु उनका कोई निराकरण नहीं किया गया और प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, रूपवास भरतपुर को पत्र दिनांक 22.10.2010 के द्वारा सूचना दी कि अपीलार्थी उक्त वेतन वृद्धि का हकदार नहीं है और सेवा पुस्तिका के आधार पर वह सही वेतन प्राप्त कर रहा है। उनका कथन है कि अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिक श्री रवीन्द्र पाल सिंह अध्यापक ग्रेड द्वितीय जो अपीलार्थी से पांचवा वेतन आयोग के आधार पर अधिक वेतन पा रहा है, जो नियम विरूद्ध है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि दिनांक 21.12.1995 से रूपये 2240 वेतन निर्धारण किया जावे और नियम 26ए के अंतर्गत व्याख्याता के पद पर पदोन्नति का लाभ देते हुए अपीलार्थी को दो वेतन वृद्धि एवं शेष राशि का भुगतान किए जाने का आदेश फरमाया जावे तथा समस्त पारिणामिक लाभ भी प्रदान किए जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी की सेवा पुस्तिका राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हिण्डौन सिटी करोली को भेज दी गई है तथा प्राध्यापक के पद पर कार्यग्रहण करने पर दो वेतन वृद्धि के स्थान पर एक वेतन वृद्धि की अधिक भुगतान राशि रूपये 2158 वसूली के आदेश अपीलार्थी की एलपीसी में अंकित कर दिए। वसूली के आदेश एवं अंतिम भुगतान पत्र के साथ हिण्डोन सिटी करौली ने सेवा पुस्तिका संख्या 3 पेज 6 पर वेतन वृद्धि संशोधन करते हुए पुनः दिनांक 21.12.1995 को अपीलार्थी का मूल वेतन रूपये 2180 के स्थान पर रूपये 2120 कर दिया। जबकि मूल वेतन रूपये 2180 नियत किया गया था और अपीलार्थी ने चाहा है कि मूल वेतन रूपये 2180 मिलना चाहिए जो नियम विरूद्ध है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्ताओं को ध्यानपूर्वक सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद पर दिनांक 01.09.1975 को हुई थी और दिनांक 21.09.1981 को अध्यापक ग्रेड द्वितीय के पद पर पदोन्नति दी गई और उसे आदेश दिनांक 12.12.1995 के द्वारा डीपीसी की अनुशंषा के तहत व्याख्याता हिन्दी के पद पर पदोन्नत किया गया। अपीलार्थी मूल वेतन रूपये 2120 वेतनमान 2000–3200 के तहत प्राप्त कर रहा है। पत्र दिनांक 01.02.1997 के द्वारा अधिक भुगतान के बारे में जानकारी पश्चात् अपीलार्थी ने रूपये 2158 चालान दिनांक 12.03.1997 को जमा किए और अपीलार्थी का वेतन दिनांक 21.12.1995 को रूपये 2180 निर्धारित किया गया और प्रत्यर्थी संख्या 3 ने पुनः वेतन रूपये 2120 दिनांक 21.12.1995 से वेतनमान रूपये 2000–3200 पुर्न निर्धारित किया। जहां तक अपीलार्थी को दिनांक 21.12.1995 से मूल वेतन रूपये 2240 निर्धारण किए जाने एवं अतिरिक्त भुगतान की वसूली किए जाने का प्रश्न है, हम प्रत्यर्थी विभाग के इस तर्क से सहमत हैं कि अपीलार्थी के प्राध्यापक के पद पर कार्यग्रहण करने पर दो वेतन वृद्धि के स्थान पर एक वेतन वृद्धि की अधिक भुगतान राशि रूपये 2158 वसूली के आदेश अपीलार्थी की एलपीसी में अंकित कर दी गई। वसूली के आदेश एवं अंतिम भुगतान पत्र के साथ हिण्डोन सिटी करौली ने सेवा पुस्तिका संख्या 3 पेज 6 पर वेतन वृद्धि संशोधन करते हुए पुनः दिनांक 21.12.1995 को अपीलार्थी का मूल वेतन रूपये 2180 के स्थान पर रूपये 2120 कर दिया, जो नियमानुसार उचित एवं सही है, अधिक भुगतान होने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी से रूपये 2158 का चालान दिनांक 12.03.1997 को जमा करवाया गया। इस प्रकार अपीलार्थी के उक्त तर्क में हमें कोई बल प्रतीत नहीं होता है। अतः अपील खारिज फरमाए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद् द्वारा खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य